रोहिताश कुमार एवं अन्य

बनाम

ओम प्रकाश शर्मा एवं अन्य

(सिविल अपील संख्याएँ 2133-2134 / 2004)

6 नवम्बर, 2012

[डॉ. बी. एस. चौहान तथा फक्कीर मोहम्मद इब्राहीम कलीफुल्ला, न्यायमूर्ति]

सेवा विधि - वरिष्ठता - समान पद धारण करने वाले अधिकारियों के बीच अंतर-सीनियरिटी - प्रत्यक्ष भर्ती से चयनित अधिकारियों का एक ही चयन प्रक्रिया में चयन - किन्तु उन्हें दो पृथक प्रशिक्षण बैचों (बैच सं. 16 और 17) में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जो क्रमशः 1.2.1993 तथा 2.7.1993 से प्रारम्भ हुए - पदोन्नत अधिकारी ने 15.3.1993 को पद ग्रहण किया - वरिष्ठता सूची में उस पदोन्नत अधिकारी को बैच सं. 17 के अधिकारियों से भी नीचे रखा गया - वरिष्ठता सूची को चुनौती देने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने नियम 3 के परंतुक के अनुसार पदोन्नत अधिकारी को बैच सं. 16 के अधिकारियों के नीचे तथा बैच सं. 17 के अधिकारियों के ऊपर रखने का निर्देश दिया - अपील में बैच सं. 17 के प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि एक ही चयन प्रक्रिया से चयनित अधिकारियों की वरिष्ठता अलग-अलग बैचों में विभाजित करके निर्धारित नहीं की जा सकती - निर्णय : यदि 17वें बैच के अधिकारियों की वरिष्ठता 1.2.1993 से निर्धारित की जाए तो इसका अर्थ होगा कि उनकी वरिष्ठता उस तिथि से मानी जाएगी जो उनकी कैडर में नियुक्ति से पूर्व की है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण 2.7.1993 से प्रारम्भ हुआ था - ऐसा करना विधि में अनुमेय नहीं है - सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति) नियम, 1978 - आर. 3.

विधि की व्याख्या :

समकालीन व्याख्या का सिद्धांत - प्रशासनिक/कार्यपालिका द्वारा की गई व्याख्या - प्रयोज्यता - निर्णय : इस सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है, किन्तु यह किसी प्रावधान की व्याख्या के प्रश्न पर सदैव निर्णायक नहीं होता - यदि स्पष्ट त्रुटि हो तो न्यायालय ऐसी व्याख्या का पालन करने से इंकार कर सकता है, क्योंकि गलत प्रथा कानून नहीं बन जाती।

क *प्रावधान का व्याख्या - सामान्यतः प्रावधान का कार्य अपवाद प्रदान करना होता है - इसे सामान्य नियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता और न ही इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है कि वह अधिनियम के प्रावधान को निष्प्रभावी कर दे या उससे प्रदत्त अधिकार को समाप्त कर दे - यदि साधारण और निष्पक्ष व्याख्या करने पर मुख्य प्रावधान स्पष्ट हो, तो प्रावधान उसके क्षेत्र या दायरे का विस्तार अथवा सीमित नहीं*
ख *कर सकता।*

विधिक व्याख्या का सिद्धांत - यदि अधिनियम की भाषा स्पष्ट है और केवल एक ही अर्थ देती है, तो उसे उसी प्रकार लागू किया जाना चाहिए, भले ही उससे कठिनाई या संभावित अन्याय उत्पन्न हो - यदि कोई कठिनाई है तो कानून में संशोधन
ग *करना विधायिका का कार्य है - न्यायालय केवल उस कठिनाई को कम करने के लिए व्याख्या के मूल सिद्धांत को त्याग नहीं सकता।*

विधि की व्याख्या - किसी अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय एक भी शब्द न जोड़ सकता है और न घटा सकता है - ऐसा करना व्याख्या
घ *नहीं बल्कि विधि-निर्माण होगा - न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता कि विधायिका से कोई त्रुटि हुई है - यदि वाक्य-विन्यास में कोई कमी है तो न्यायालय उसमें शब्द जोड़कर या संशोधन करके उस कमी को पूरा नहीं कर सकता - अधिनियम की व्याख्या इस आधार पर नहीं की जा सकती कि विधायिका का आशय क्या रहा होगा या उसे*
ङ *क्या कहना चाहिए था।*

सूक्तियाँ:

"कानून कठोर है, किन्तु वही कानून है" – प्रयोज्यता।

च

"कानून के शब्दों से विचलित नहीं हुआ जा सकता" – अर्थ एवं प्रयोज्यता।

154 व्यक्तियों का चयन सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट (प्रत्यक्ष प्रवेश)
छ **के रूप में नियुक्ति के लिए किया गया। उन्हें प्रशिक्षण के लिए दो अलग-अलग बैचों में भेजा गया। बैच सं. 16 ने 1.2.1993 को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जबकि बैच सं. 17 ने 2.7.1993 को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। प्रतिवादी सं. 1, जो फीडिंग कैडर से पदोन्नत होकर आए थे, 15.3.1993 को सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त हुए।**
ज **वरिष्ठता सूची में प्रतिवादी सं. 1 को बैच सं. 17 के सभी अधिकारियों से भी नीचे रखा गया।**

प्रतिवादी सं. 1 ने इस वरिष्ठता सूची को एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी।
झ **उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए यह कहा कि उन्हें**

वरिष्ठता में बैच सं. 17 के अधिकारियों से ऊपर तथा बैच सं. 16 के अधिकारियों से नीचे रखा जाना चाहिए। इसके विरुद्ध दायर रिट अपील को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। क

अपीलकर्ता, जो बैच सं. 17 के अधिकारी थे, उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। अतः उन्होंने न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अन्य बातों के साथ यह तर्क दिया कि यदि अधिकारियों का चयन एक ही चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, तो केवल इस कारण कि उन्हें अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया गया, उनकी वरिष्ठता को विभाजित कर अलग-अलग निर्धारित नहीं किया जा सकता; और यह कि वैधानिक प्राधिकारियों ने पूर्व में सदैव वरिष्ठता का निर्धारण इस तथ्य की परवाह किए बिना किया है कि प्रशिक्षण अलग-अलग बैचों में आयोजित किया गया था। ख ग

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि: 1.1 प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा प्रतिपादित *समकालीन व्याख्या,* किसी वैधानिक साधन में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की व्याख्या के लिए एक अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक मार्गदर्शक है। किसी वैधानिक प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों को उसी प्रकार समझा जाना चाहिए, जिस प्रकार उन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में उस क्षेत्र के संदर्भ में, जहाँ उक्त कानून प्रभावी है, या उन व्यक्तियों द्वारा जो सामान्यतः उनसे व्यवहार करते हैं, समझा जाता है। [पैरा 7] [62-एच; 63-ए] घ ङ

***के.पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम एवं अन्य,* ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1922 : 1982 (1) एस.सी.आर. 629; *इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज़ लिमिटेड, कटक बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्राहक, भुवनेश्वर,* ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1028 : 1990 (3) अनुपूरक एस.सी.आर. 329; *वाई.पी. चावला एवं अन्य बनाम एम.पी. तिवारी एवं अन्य,* ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 1360 : 1992 (2) एस.सी.आर. 440 – पर निर्भर किया गया।** च छ

1.2 ऐसी व्याख्या को वरीयता दी जानी चाहिए जो उस संबंधित विभाग में प्रचलित दीर्घकालीन प्रथा के अनुरूप हो, जिसके संबंध में वह विधि बनाई गई है। [पैरा 8] [63- सी-डी] ज

एन. सुरेश नाथन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* 1992 (अनुपूरक 1) एस.सी.सी.. 584 : 1991 (2) अनुपूरक एस.सी.आर. 423; *एम.बी. जोशी एवं अन्य झ

क *बनाम सतीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य,* **1993 (अनुपूरक 2) एस.सी.सी.. 419 : 1992 (2) अनुपूरक एस.सी.आर. 1 – पर निर्भर किया गया।**

1.3 यद्यपि कोई न्यायसूत्र प्राचीन विधानों की व्याख्या के लिए लागू हो सकता है, किन्तु अपेक्षाकृत आधुनिक अधिनियमों की व्याख्या में उसका उपयोग उसी प्रकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिनियमों के शब्दों की व्याख्या वर्तमान परिस्थितियों
ख **और नवीन तथ्यों के संदर्भ में की जानी चाहिए, यदि वे शब्द वास्तव में उन्हें समाहित करने में सक्षम हों। [पैरा 9] [63-डी-एफ]**

सीनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर एवं अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण चोपड़ा एवं अन्य,
ग **ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 159 : 1962 एस.सी.आर. 146;** *एम/एस जे.के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 191 : 1988 एस.सी.आर. 700 – पर निर्भर किया गया।**

1.4 समकालीन व्याख्या का सिद्धांत, अर्थात किसी दस्तावेज की व्याख्या उस
घ **प्रकार करना जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे समझा और लागू किया गया है, लागू किया जा सकता है, किन्तु यह निर्माण के प्रश्न पर सदैव निर्णायक नहीं होता। प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा दी गई समकालीन व्याख्या, जो**
ङ **अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं, को सामान्यतः तब तक नहीं पलटा जाना चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण न हो। ऐसी व्याख्या, जिसे व्यावहारिक व्याख्या भी कहा जाता है, यद्यपि नियंत्रणकारी नहीं है, फिर भी उसे पर्याप्त महत्व और उच्च प्रेरक मूल्य दिया जाता है। तथापि, ठोस कारणों के आधार पर इसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है। स्पष्ट त्रुटि की स्थिति में न्यायालय को**
च **बिना संकोच ऐसी व्याख्या का पालन करने से इंकार करना चाहिए, क्योंकि "गलत प्रथा कानून नहीं बनाती।" यदि पूर्व प्रथा नियमों के अनुरूप है तो उसे बनाए रखा जाना चाहिए, किन्तु यदि वह नियमों के विपरीत पाई जाती है तो उसे अनदेखा किया जाना**
छ **चाहिए। [पैरा 10] [63-एफ-एच; 64-ए-बी-सी-डी]**

देश बंधु गुप्ता एंड कम्पनी एवं अन्य बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, **ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1049 : 1979 (3) एस.सी.आर. 373;** *नगर निगम, पुणे शहर एवं अन्य बनाम भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड एवं अन्य,* **ए.आई.आर.**
ज **1996 एस.सी. 2856 : 1995 (2) एस.सी.आर. 716;** *राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम देव गंगा एंटरप्राइजेज,* **(2010) 1 एस.सी.सी.. 505 : 2009 (16) एस.सी.आर. 269;** *शिबा शंकर महापात्र बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य,* **(2010) 12 एस.सी.सी.. 471 :**
झ

2009 (15) एस.सी.आर. 866; *डी. स्टीफन जोसेफ बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **(1997) 4 एस.सी.सी.. 753 : 1997 (3) एस.सी.आर. 1040 – पर निर्भर किया गया।** क

1.5 "जिस प्रकार कोई वैधानिक प्राधिकारी किसी विधि के अनुप्रयोग को समझता है, वह किसी पक्षकार को कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि वह उस विषय से संबंधित न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त न कर ले।" इस सिद्धांत को न्यायिक निर्णयों में भी लागू किया गया है, क्योंकि निरंतर यह माना गया है कि सक्षम प्राधिकारी की दीर्घकाल से स्थापित प्रथा में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या 'अनुचित' न पाई जाए। [पैरा 11 और 12] [64-डी-एफ] ख

ग

लक्ष्मीनारायण आर. भट्टड एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, **ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 3502 : 2003 (3) एस.सी.आर. 409;** *थम्मा वेंकट सुब्बम्मा (मृत) उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम थम्मा रत्तम्मा एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1775 : 1987 (3) एस.सी.आर. 236;** *सहायक जिला रजिस्ट्रार, सहकारी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम विक्रमभाई रतीलाल दलाल एवं अन्य,* **1987 (अनुपूरक) एस.सी.सी.. 27;** *अजीतसिंह सी. गायकवाड़ एवं अन्य बनाम दिलीपसिंह डी. गायकवाड़ एवं अन्य,* **1987 (अनुपूरक) एस.सी.सी.. 439;** *कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास बनाम एम/एस स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आदि,* **ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1298 : 1989 (1) एस.सी.आर. 824;** *कट्टिटे वालप्पिल पथुम्मा एवं अन्य बनाम तालुक लैंड बोर्ड एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1115 : 1997 (2) एस.सी.आर. 175;** *हेमलता गर्ग्या बनाम आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश एवं अन्य,* **(2003) 9 एस.सी.सी.. 510 : 2002 (4) अनुपूरक एस.सी.आर. 382 – पर निर्भर किया गया।** घ ङ च

1.6 प्रशासनिक व्याख्या / कार्यपालिका द्वारा की गई व्याख्या के सिद्धांत उन परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं, जब या तो विधेयक प्रस्तुत किए जाने के समय स्वयं विधि-निर्माता द्वारा कोई स्पष्टीकरण या प्रस्तुतीकरण किया गया हो, अथवा अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कार्यपालिका द्वारा उसकी व्याख्या प्रदान की गई हो। ऐसी व्याख्या को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। [पैरा 13] [65-ए-बी] छ

महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य **ए.आई.आर. 2009 एससी 792: 2008 (5) एससीआर 793 - पर भरोसा किया गया।** ज

झ

क **1.7 प्रशासनिक व्याख्या प्रायः किसी विशेष नियम या कार्यपालिका के निर्देश की व्याख्या करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान कर सकती है, और इसे सामान्यतः स्वीकार किया जा सकता है, जब तक कि यह स्वयं उस नियम के प्रतिकूल न हो। [पैरा 14] [65-सी]**

ख **2.1 सामान्यतः किसी प्रावधान में जो प्रावधान (अपवाद प्रावधान) जोड़ा जाता है, उसका उद्देश्य किसी अपवाद का प्रावधान करना होता है, अर्थात् वह किसी ऐसी बात को अलग करता है जो सामान्य विधायी आशय के दायरे से बाहर हो, या उस बात को सीमित करता है जो अन्यथा उस अधिनियम के दायरे में आती। इस प्रकार**

ग **उसका उद्देश्य किसी ऐसी बात को बाहर करना होता है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आती। सामान्यतः किसी प्रावधान की व्याख्या एक सामान्य नियम के रूप में नहीं की जा सकती। न ही इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है कि वह अधिनियम को निष्प्रभावी कर दे या विधि द्वारा प्रदान किए गए अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दे। यदि मुख्य प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध**

घ **है, तो प्रावधान का उसकी व्याख्या पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं हो सकता जिससे उस बात को निहित रूप से बाहर कर दिया जाए जो उसके स्पष्ट शब्दों में सम्मिलित है। यदि साधारण और निष्पक्ष व्याख्या से मुख्य प्रावधान स्पष्ट है, तो प्रावधान उसके दायरे और सीमा का विस्तार या संकुचन नहीं कर सकता। [पैरा 15] [65-डी-जी]**

ङ *सीआईटी, मैसूर आदि बनाम इंडो मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड,* **ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 713 : 1959 अनुपूरक एस.सी.आर. 256;** *कुश सहगल एवं अन्य बनाम एम.सी. मिटर एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1390 : 2000 (2) एस.सी.आर. 648;** *हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य*

च *सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी संघ एवं अन्य,* **(2004) 1 एस.सी.सी.. 574 : 2003 (6) अनुपूरक एस.सी.आर. 1039;** *नगर पालिका निगम बनाम कृषि उपज मंडी समिति एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 187 : 2008 (14) एस.सी.आर. 419;**

छ *केरल राज्य एवं अन्य बनाम बी. सिक्स हॉलिडे रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य,* **(2010) 5 एस.सी.सी.. 186 : 2010 (3) एस.सी.आर. 1 – पर निर्भर किया गया।**

2.2 किसी अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान में जो प्रावधान जोड़ा जाता है,

ज **वह केवल उसी क्षेत्र को आवृत करता है जो मुख्य प्रावधान के अंतर्गत आता है, और उस मुख्य प्रावधान से एक अपवाद निकालता है। [पैरा 16] [66-बी]**

राम नारायण सन्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम सहायक बिक्री कर आयुक्त एवं

झ *अन्य* **ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 765 : 1955 एस.सी.आर 483;** *ए.एन. सहगल एवं*

अन्य बनाम राजेराम शेओराम एवं अन्य **ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1406 : 1991 (2) एस.सी.आर 198 - पर भरोसा किया गया।** क

2.3 सामान्यतः प्रावधान को अपवाद से अलग माना जा सकता है, क्योंकि अपवाद का उद्देश्य विधायी प्रावधान को कुछ विशेष मामलों तक सीमित करना होता है, जबकि प्रावधान का प्रयोग सामान्य अधिनियम से कुछ विशेष मामलों को अलग करने के लिए किया जाता है और उनके लिए अलग व्यवस्था करता है। [पैरा 17] [66-सी-डी] ख

3.1 यह व्याख्या का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि यदि किसी अधिनियम की भाषा स्पष्ट है, तो उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाई या असुविधा को उस भाषा के अर्थ को बदलने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। यदि अधिनियम की भाषा सरल और स्पष्ट है और उससे केवल एक ही अर्थ निकलता है, तो उसी अर्थ को प्रभावी किया जाना चाहिए, चाहे उससे कठिनाई या संभावित अन्याय क्यों न उत्पन्न हो। [पैरा 18] [66-ई-एफ] ग

घ

पश्चिम बंगाल कृषि आयकर आयुक्त बनाम केशव चन्द्र मंडल **ए.आई.आर. 1950 एस.सी. 265 : 1950 एस.सी.आर 435;** *डी. डी. जोशी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 420 : 1983 (2) एस.सी.आर 448 - पर भरोसा किया गया।**

ङ

बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य **ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 661 : 1955 एस.सी.आर 603 - का अनुसरण किया गया।**

3.2 यदि किसी प्रावधान से कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कानून में संशोधन करना विधायिका का कार्य है। न्यायालय को केवल उस कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से व्याख्या के मूल सिद्धांत को त्यागने के लिए नहीं कहा जा सकता। यदि अधिनियम की भाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है, तो न्यायालय को उसे लागू करना ही होगा, चाहे परिणाम असमान या अन्यायपूर्ण क्यों न प्रतीत हो। "Dura lex sed lex" अर्थात् "कानून कठोर है, परन्तु वही कानून है" - इस स्थिति का सार प्रस्तुत करता है। अतः यदि किसी वैधानिक प्रावधान से कुछ व्यक्तियों को कठिनाई होती है, तो कानून में संशोधन करना न्यायालय का कार्य नहीं है। किसी विधिक अधिनियम की व्याख्या उसके सामान्य और शाब्दिक अर्थ में की जानी चाहिए, क्योंकि यही व्याख्या का प्रथम सिद्धांत है। किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय "असुविधा" कोई निर्णायक कारक नहीं होती। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को होने वाली च छ ज झ

क **कठिनाई इस बात का आधार नहीं बन सकती कि प्रावधान के प्रत्येक शब्द को उसके स्पष्ट और व्याकरणिक अर्थ में लागू न किया जाए, यदि प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है। [पैरा 19 और 21] [66-एच; 67-ए-बी-एफ-जी]**

मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बैंगलोर वूलन, कॉटन एंड सिल्क मिल्स लिमिटेड एवं अन्य **ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1128 : 1963 अनुपूरक एस.सी.आर 127 - का**
ख **अनुसरण किया गया।**

मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम कोलकाता निगम **ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 529 : 1966 एस.सी.आर 543;** *आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम एम/एस वेजिटेबल*
ग *प्रोडक्ट्स लिमिटेड* **ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 927 : 1973 (3) एस.सी.आर 448;** *टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम रिलायंस एनर्जी लिमिटेड एवं अन्य* **(2009) 16 एस.सी.सी. 659 : 2009 (9) एस.सी.आर 625 - पर भरोसा किया गया।**

4.1 किसी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय न्यायालय न तो
घ **उसमें कोई शब्द जोड़ सकता है और न ही एक भी शब्द घटा सकता है। विधिक सूक्ति "A Verbis Legis Non Est Recedendum" का अर्थ है - "कानून के शब्दों से विचलित नहीं हुआ जा सकता।" किसी धारा की व्याख्या उसके सभी भागों को एक साथ पढ़कर की जानी चाहिए और उसका कोई भी भाग छोड़ना अनुमेय नहीं है।**
ङ **न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता कि विधायिका ने अधिनियम बनाते समय कोई त्रुटि की है; उसे इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि विधायिका ने वही कहा है जो उसका आशय था। यदि अधिनियम की भाषा में कोई त्रुटि या कमी भी हो, तब भी न्यायालय उसमें शब्द जोड़कर या संशोधन करके उस कमी को पूरा नहीं कर सकता।**
च **न्यायालय केवल अस्पष्टताओं को स्पष्ट कर सकता है, परन्तु ऐसा करते समय वह उस विधिक संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकता जिससे अधिनियम निर्मित हुआ है। वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय न्यायालय अधिनियम में ऐसे शब्द नहीं**
छ **जोड़ सकता जो उसमें नहीं हैं, विशेषकर तब जब उसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट और समझने योग्य परिणाम देता हो। [पैरा 22] [67-जी-एच; 68-ए-सी]**

नलिनाख्य बिसाक बनाम श्याम सुंदर हल्दार एवं अन्य **ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 148 : 1953 एस.सी.आर 533;** *श्री राम राम नारायण मेधी बनाम बॉम्बे राज्य*
ज **ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 459 : 1959 अनुपूरक एस.सी.आर 489;** *एम. पेंटैया एवं अन्य बनाम मुद्दाला वीरमल्लप्पा एवं अन्य* **ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1107 : 961 एस.सी.आर 295;** *बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम बाबुभाई शंकरलाल*
झ *पंड्या एवं अन्य* **ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 849;** *दादी जगन्नाधम बनाम जम्मुलु*

रामुलु एवं अन्य **(2001) 7 एस.सी.सी. 71 : 2001 (2) अनुपूरक एस.सी.आर 60 - पर भरोसा किया गया।** क

4.2 किसी अधिनियम की व्याख्या इस आधार पर नहीं की जानी चाहिए कि विधायिका का क्या आशय रहा होगा, या विधायिका को क्या कहना चाहिए था, या उसने क्या किया होगा, अथवा उसका कर्तव्य क्या था। न्यायालयों को कानून को उसी ख **रूप में लागू करना होता है जैसा वह है, और यह न्यायालय के लिए अनुमेय नहीं है कि वह किसी वास्तविक या काल्पनिक कठिनाई से बचने के लिए अधिनियम की स्पष्ट भाषा को विकृत कर दे। किसी प्रावधान की व्याख्या के नाम पर न्यायालय एक भी शब्द जोड़ या घटा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना व्याख्या नहीं बल्कि विधि-** ग **निर्माण होगा। [पैरा 23 और 24] [68-ई-जी]**

5.1 सेवा चयन बोर्ड ने 154 व्यक्तियों का चयन सहायक कमांडेंट (प्रत्यक्ष प्रवेश) के रूप में नियुक्ति के लिए किया और उन्हें प्रशिक्षण के लिए दो अलग-अलग बैचों में भेजा गया। बैच सं. 16 में 67 अधिकारी थे जिन्होंने 1.2.1993 को प्रशिक्षण घ **प्रारम्भ किया, जबकि बैच सं. 17 में 87 अधिकारी थे जिन्होंने 2.7.1993 को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। यद्यपि उनका चयन एक ही प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हुआ था, फिर भी प्रशासनिक कारणों जैसे चरित्र सत्यापन आदि के कारण उन्हें एक ही बैच में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा सका। प्रतिवादी सं. 1, जो फीडिंग कैडर से पदोन्नत** ङ **होकर आए थे, 15.3.1993 को पद ग्रहण कर चुके थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्हें बैच सं. 17 के प्रशिक्षण प्रारम्भ होने (2.7.1993) से पहले ही पदोन्नति कैडर में रखा जा चुका था। [पैरा 25] [69-ए-सी]**

5.2 नियम 3 की भाषा पूर्णतः स्पष्ट है। इसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता च **नहीं है। इस नियम की वैधता को भी चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए इस नियम की भिन्न प्रकार से व्याख्या करना अनुमेय नहीं है। उक्त प्रावधान केवल उस स्थिति में लागू होगा जब एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित** छ **अधिकारियों को अलग-अलग बैचों में विभाजित किया गया हो। यदि नियम की अन्य प्रकार से व्याख्या की जाए, तो इसका अर्थ होगा कि प्रावधान में ऐसे शब्द जोड़ दिए जाएँ जो कानून अनुमति नहीं देता। [पैरा 27] [69-जी-एच; 70-ए-बी]**

5.3 यदि अपीलकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली जाए, तो इसका अर्थ होगा ज **कि उनकी वरिष्ठता उस तिथि से निर्धारित की जाएगी जो उनकी कैडर में नियुक्ति (cadre में प्रवेश) से भी पहले की है। यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता (17वाँ बैच) ने 2.7.1993 को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया था, जबकि उनका दावा है कि उनकी वरिष्ठता** झ

क **1 फरवरी 1993 से निर्धारित की जाए, अर्थात् उस तिथि से जब 16वें बैच ने प्रशिक्षण प्रारम्भ किया था। ऐसा करना विधि में अनुमेय नहीं है। इस मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ न तो किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता रखती हैं और न ही नियम को सीमित अर्थ देने की। [पैरा 28] [70-बी-सी]**

<u>निर्णयजन्य विधि संदर्भ</u>

ख

1982 (1) एस.सी.आर 629	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 7**
1990 (3) अनुपूरक एस.सी.आर 329	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 7**
1992 (2) एस.सी.आर 440	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 7**
1991 (2) अनुपूरक एस.सी.आर 423	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 8**
1992 (2) अनुपूरक एस.सी.आर 1	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 8**
1962 एस.सी.आर 146	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 9**
1988 एस.सी.आर 700	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 9**
1979 (3) एस.सी.आर 373	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 10**
1995 (2) एस.सी.आर 716	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 10**
2009 (16) एस.सी.आर 269	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 10**
2009 (15) एस.सी.आर 866	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 10**
1997 (3) एस.सी.आर 1040	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 10**
2003 (3) एस.सी.आर 409	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 11**
1987 (3) एस.सी.आर 236	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 12**
1987 (अनुपूरक) एस.सी.सी. 27	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 12**
1987 (अनुपूरक) एस.सी.सी. 439	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 12**
1989 (1) एस.सी.आर 824	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 12**
1997 (2) एस.सी.आर 175	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 12**
2002 (4) अनुपूरक एस.सी.आर 382	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 12**
2008 (5) एस.सी.आर 793	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 13**
1959 अनुपूरक एस.सी.आर 256	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 15**
2000 (2) एस.सी.आर 648	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 15**
2003 (6) अनुपूरक एस.सी.आर 1039	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 15**
2008 (14) एस.सी.आर 419	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 15**

ग घ ङ च छ ज झ

2010 (3) एस.सी.आर 1	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 15**	क
1955 एस.सी.आर 483	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 16**	
1991 (2) एस.सी.आर 198	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 16**	
1950 एस.सी.आर 435	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 18**	
1983 (2) एस.सी.आर 448	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 18**	
1955 एस.सी.आर 603	**अनुसरण किया गया**	**पैरा 19**	ख
1963 अनुपूरक एस.सी.आर 127	**अनुसरण किया गया**	**पैरा 20**	
1966 एस.सी.आर 543	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 21**	
1973 (3) एस.सी.आर 448	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 21**	
2009 (9) एस.सी.आर 625	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 21**	ग
1953 एस.सी.आर 533	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 22**	
1959 अनुपूरक एस.सी.आर 489	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 22**	
1961 एस.सी.आर 295	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 22**	
ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 849	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 22**	
2001 (2) अनुपूरक एस.सी.आर 60	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 22**	घ

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 2133-2134/2004.

जम्मू स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.07.2001, जो एस.डब्ल्यू.पी. सं. 1393/1999 में पारित हुआ, तथा दिनांक 01.08.2002, जो एल.पी.ए. सं. 275/2002 में पारित हुआ, के विरुद्ध। ङ

आर. वेंकटरमणि, कुमार परिमल, अल्जो के. जोसेफ, पी.वी. योगेश्वरन, सुप्रिया गर्ग, नीलम सिंह, शोदम बाबू – अपीलकर्ताओं की ओर से। च

पी.पी. मल्होत्रा, एएसजी, डॉ. राजीव धवन, गौरव शर्मा, शैलेन्द्र सैनी, बी.के. प्रसाद, सुषमा सूरी, जया गोयल, निखिल नय्यर, टी.वी.एस. राघवेंद्र श्रेयस, नवीन आर. नाथ – प्रतिवादियों की ओर से। छ

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया–

डॉ. बी.एस. चौहान, न्यायाधीश। 1. ये अपीलें जम्मू स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा एस.डब्ल्यू.पी. सं. 1393/1999 में पारित दिनांक 22.07.2001 के विवादित निर्णय एवं आदेश तथा एल.पी.ए. सं. 275/2002 में पारित दिनांक 01.08.2002 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। ज

झ

क 2. इन अपीलों के उत्पन्न होने के तथ्य एवं परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं :

क. अपीलकर्ता तथा प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट हैं (जिसे आगे "बीएसएफ" कहा गया है)। अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 और 5 प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को 10 प्रतिशत आरक्षित पदों के कोटे के अंतर्गत, जो कि मंत्री स्तरीय पदों के लिए आरक्षित हैं, पदोन्नति द्वारा
ख नियुक्त किया गया है।

ख. भारत संघ - प्रतिवादी संख्या 2, ने दिनांक 18.7.1995 को एक वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को क्रम संख्या 1863 पर, बैच संख्या 17
ग के सभी अधिकारियों से नीचे स्थान दिया गया। इसके पश्चात सहायक कमांडेंटों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 5.7.1996 को प्रकाशित की गई।

ग. प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वरिष्ठता सूची को, जिसमें उसे बैच संख्या 17 के अधिकारियों से नीचे स्थान दिया गया था, रिट याचिका संख्या 1393 / 1999 दायर करके चुनौती दी। उसका आधार यह था कि 15.3.1993 से वह सहायक कमांडेंट
घ के रूप में पदोन्नत हो चुका था और उसने इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर में पूर्ण कर लिया था, जो 1.2.1993 से प्रारम्भ हुआ था। इसके अतिरिक्त एक अन्य बैच ने 2.7.1993 से प्रशिक्षण प्रारम्भ किया था। तथापि, दूसरे
ङ बैच के वे अधिकारी, जिन्होंने 2.7.1993 को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया, वरिष्ठता सूची में उससे ऊपर स्थान नहीं पा सकते थे।

घ. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर उक्त रिट याचिका का भारत संघ द्वारा प्रतिवाद किया गया। माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.7.2001 के विवादित
च निर्णय एवं आदेश द्वारा रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह घोषित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 / याचिकाकर्ता वास्तव में वरिष्ठता में बैच संख्या 17 के अधिकारियों से ऊपर तथा बैच संख्या 16 के अधिकारियों से नीचे स्थान पाने का अधिकारी है।

छ

ङ. भारत संघ ने उक्त दिनांक 27.7.2001 के विवादित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए लेटर्स पेटेंट अपील दायर की, जिसे दिनांक 1.8.2002 के विवादित निर्णय एवं आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

ज च. अपीलकर्ता यद्यपि उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं थे, तथापि उन्होंने इस विषय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, जिसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। फलस्वरूप ये अपीलें दायर की
झ गईं।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमणि ने यह प्रस्तुत किया कि जो अधिकारी एक ही विज्ञापन के प्रत्युत्तर में तथा एक ही चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हुए हों, उन्हें यदि प्रशासनिक कारणों जैसे पुलिस सत्यापन, चिकित्सीय परीक्षण आदि के कारण दो अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया गया हो, तो केवल इस आधार पर उन्हें अलग-अलग बैचों में विभाजित करके भिन्न-भिन्न वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती। अतः उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के दावे को स्वीकार कर त्रुटि की है, क्योंकि यदि बैच संख्या 16 और 17 को संयुक्त रूप से माना जाए, तो जो अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार क्रम संख्या 5 पर थे, वे पृथक् बैच माने जाने पर क्रम संख्या 60 पर पहुँच जाएंगे। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति क्रम संख्या 8 पर था, वह क्रम संख्या 62 पर चला जाएगा, और जो क्रम संख्या 11 पर था, वह क्रम संख्या 64 पर पहुँच जाएगा। इस प्रकार, इस प्रकार की कार्रवाई से उन अधिकारियों की वरिष्ठता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि वे सभी एक ही चयन प्रक्रिया में चयनित हुए थे। सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति) नियम, 1978 (जिसे आगे "नियम, 1978" कहा गया है) के नियम 3 के प्रावधानों की गलत व्याख्या की गई है। वैधानिक प्राधिकारियों ने पूर्व में सदैव वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस तथ्य की उपेक्षा की है कि अधिकारियों का प्रशिक्षण अलग-अलग बैचों में हुआ था। अतः अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थित श्री पी.पी. मल्होत्रा, माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलों का जोरदार विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि उक्त नियम किसी भी प्रकार से अस्पष्ट नहीं है, अतः इसकी शाब्दिक व्याख्या ही की जानी चाहिए। यदि इसके परिणामस्वरूप किसी को कोई कठिनाई होती है, तो यह वैधानिक नियम की भिन्न प्रकार से व्याख्या करने का वैध आधार नहीं हो सकता। उक्त नियमों को स्वयं चुनौती नहीं दी गई है। समकालीन व्याख्या का सिद्धांत वैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल लागू नहीं किया जा सकता। नियम 3 का प्रावधान (प्रावधान) एक ही बैच के अधिकारियों के विभाजन की व्यवस्था करता है, यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, और वर्तमान मामले में ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हुई है। उच्च न्यायालय ने केवल उक्त प्रावधानों को लागू किया है। अतः किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान अपीलें निरस्त किए जाने योग्य हैं।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

क

6. नियम, 1978 का प्रासंगिक नियम 3 इस प्रकार है :

"(3) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन, समान पद धारण करने वाले अधिकारियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी:

ख (i) एक ही दिन पदोन्नत किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी जिसमें उन्हें उस पद के लिए चयनित किया गया है।

(ii) प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता, चयन बोर्ड के समक्ष प्राप्त कुल अंकों तथा सीमा सुरक्षा बल अकादमी में आयोजित पासिंग-आउट

ग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(iii) अस्थायी अधिकारियों की वरिष्ठता, उपबंध (i) और (ii) के अधीन, उनके चयन के समय प्राप्त मेरिट क्रम के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा पूर्व बैच में चयनित अधिकारी बाद के बैच में चयनित अधिकारियों से वरिष्ठ होंगे।

घ (iv) उपबंध (i), (ii) और (iii) के अधीन, अधिकारियों की वरिष्ठता उस तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी जिस तिथि से वे उस पद पर निरंतर नियुक्त हैं।

ङ परन्तु यह कि प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त अधिकारियों के मामले में **नियुक्ति की तिथि वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन उनका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** सीमा सुरक्षा बल अकादमी में प्रारम्भ होता है।" (जोर दिया गया)

<u>समकालीन व्याख्या का सिद्धांत:</u>

च

7. इस न्यायालय ने समकालीन व्याख्या के सिद्धांत को लागू किया है, क्योंकि यह सिद्धांत किसी विधि की व्याख्या करते समय उस व्याख्या के संदर्भ में एक

छ स्थापित नियम है जो समकालीन प्राधिकारियों द्वारा दी गई हो। तथापि ऐसा करते समय न्यायालय ने सावधानी का यह भी उल्लेख किया कि जहाँ विधि की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, वहाँ इस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने इस व्याख्यात्मक सिद्धांत को लागू करते हुए यह कहा कि प्रशासनिक प्राधिकारियों

ज द्वारा दी गई समकालीन व्याख्या किसी वैधानिक प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ समझने के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक मार्गदर्शक होती है। किसी वैधानिक प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों को उसी प्रकार समझा जाना चाहिए जैसा वे सामान्य बोलचाल

झ

की भाषा में उस क्षेत्र में समझे जाते हैं जहाँ वह कानून लागू है, अथवा उन लोगों द्वारा समझे जाते हैं जो सामान्यतः उनसे व्यवहार करते हैं। (देखें : के*.पी. वर्गीस बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1922;** *इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड, कटक बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्राहक, भुवनेश्वर,* **ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1028;** तथा *वाई.पी. चावला एवं अन्य बनाम एम.पी. तिवारी एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 1360)**।

8. *एन. सुरेश नाथन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **1992 अनुपूरक (1) एस.सी.सी. 584** तथा *एम.बी. जोशी एवं अन्य बनाम सतीश कुमार पांडे एवं अन्य,* **1993 अनुपूरक (2) एस.सी.सी. 419** में इस न्यायालय ने यह कहा कि ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उस विभाग में प्रचलित दीर्घकालीन व्यवहार के अनुरूप हो, जिसके संबंध में यह कानून बनाया गया है।

9. *वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक एवं अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण चोपड़ा एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 159** तथा *एम/एस जे.के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 191** में यह निर्णय दिया गया कि यद्यपि कोई विधिक सूक्ति प्राचीन अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू हो सकती है, किन्तु उसी का प्रयोग अपेक्षाकृत आधुनिक अधिनियमों की व्याख्या के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिनियमों के संबंध में, उनमें प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या नवीन तथ्यों और वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में की जानी चाहिए, यदि वे शब्द वास्तव में उन्हें समाहित करने में सक्षम हों।

10. *देश बंधु गुप्ता एंड कंपनी एवं अन्य बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड,* **ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1049** में इस न्यायालय ने कहा कि समकालीन व्याख्या का सिद्धांत, अर्थात् किसी दस्तावेज़ की उस व्याख्या के संदर्भ में व्याख्या करना जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई हो, लागू किया जा सकता है; यद्यपि यह व्याख्या के प्रश्नों के संदर्भ में सदैव निर्णायक नहीं होती। प्रशासनिक व्याख्या, अर्थात वह समकालीन व्याख्या जो अधिनियम या नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दी जाती है, उसे सामान्यतः तब तक पलटा नहीं जाना चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण न हो। ऐसी व्याख्या, जिसे सामान्यतः व्यावहारिक व्याख्या कहा जाता है, यद्यपि नियंत्रणकारी नहीं होती, तथापि उसे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए और वह अत्यंत प्रभावशाली

क भी होती है। तथापि, उचित कारण होने पर इसे अस्वीकार भी किया जा सकता है। यदि त्रुटि का स्पष्ट मामला हो, तो न्यायालय को बिना संकोच ऐसी व्याख्या का अनुसरण करने से इंकार करना चाहिए, क्योंकि "गलत प्रथा कानून नहीं बना सकती।" (देखें : *पुणे नगर निगम एवं अन्य बनाम भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 2856)**। (यह भी देखें : *राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम*
ख *देव गंगा इंटरप्राइजेज,* **(2010) 1 एस.सी.सी. 505;** तथा *शिबा शंकर महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य,* **(2010) 12 एस.सी.सी. 471)**।

डी. स्टीफन जोसेफ बनाम भारत संघ एवं अन्य, **(1997) 4 एस.सी.सी. 753**
ग में न्यायालय ने कहा कि "पूर्व से चली आ रही प्रथा को तब तक विचलित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह नियमों के अनुरूप हो", परन्तु यदि वह नियमों के विपरीत पाई जाए तो उसे अनदेखा किया जाना चाहिए।

11. तथापि, *लक्ष्मीनारायण आर. भट्टाड एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 3502** में इस न्यायालय ने यह कहा कि "किसी
घ वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी अधिनियम के अनुप्रयोग को जिस प्रकार समझा जाता है, उससे किसी पक्षकार को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि उस व्याख्या को उस न्यायालय की स्वीकृति न प्राप्त हो जो उस विषय का निर्णय कर रहा हो।"

ङ

12. यह सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में भी लागू किया गया है और यह निरंतर कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की दीर्घकालीन स्थापित प्रथा को सामान्यतः परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से गलत या 'अनुचित' न पाई
च जाए। (देखें : *थम्मा वेंकटा सुब्बम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम थम्मा रत्तम्मा एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1775;** *सहायक जिला रजिस्ट्रार, सहकारी आवास समिति लिमिटेड बनाम विक्रमभाई रतिलाल दलाल एवं अन्य,* **1987 (अनुपूरक)**
छ **एस.सी.सी. 27;** *अजितसिंह सी. गायकवाड़ एवं अन्य बनाम दिलीपसिंह डी. गायकवाड़ एवं अन्य,* **1987 (अनुपूरक) एस.सी.सी. 439;** *केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्राहक, मद्रास बनाम एम/एस स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आदि,* **ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1298;** *कट्टिते वलप्पिल पथुम्मा एवं अन्य बनाम तालुक भूमि बोर्ड एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1997**
ज **एस.सी. 1115;** तथा *हेमलता गार्ग्या बनाम आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश एवं अन्य,* **(2003) 9 एस.सी.सी. 510)**।

13. प्रशासनिक व्याख्या/कार्यकारी व्याख्या के नियम तब लागू किए जा सकते
झ हैं जब या तो विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के समय विधि निर्माता द्वारा कोई

अभिव्यक्ति की गई हो, अथवा अधिनियम के लागू होने के पश्चात कार्यपालिका द्वारा उसकी व्याख्या की गई हो। ऐसे मामलों में उस व्याख्या को महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त होता है। (देखें : *महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 792)**।

14. उपर्युक्त के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रशासनिक व्याख्या प्रायः किसी विशेष नियम या कार्यकारी निर्देश की व्याख्या के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है और इसे स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि यह स्वयं नियम के विपरीत न हो।

<u>प्रावधान का व्याख्या:</u>

15. सामान्यतः किसी प्रावधान का कार्य एक अपवाद प्रदान करना होता है, अर्थात् ऐसी किसी बात को अपवाद के रूप में बाहर रखना जो अन्यथा अधिनियम की सामान्य मंशा के अंतर्गत आती। इसका उद्देश्य मुख्य प्रावधान की सामान्य भाषा के अंतर्गत आने वाली किसी बात को उससे बाहर करना होता है। सामान्यतः किसी प्रावधान की व्याख्या एक सामान्य नियम के रूप में नहीं की जा सकती। न ही इसे इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है कि वह अधिनियम को निष्प्रभावी कर दे अथवा अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दे। यदि मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो प्रावधान का उसके अर्थ की व्याख्या पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता जिससे उसके स्पष्ट शब्दों के अंतर्गत आने वाली बात को परोक्ष रूप से बाहर कर दिया जाए। यदि सामान्य और निष्पक्ष व्याख्या करने पर मुख्य प्रावधान स्पष्ट हो, तो प्रावधान उसके क्षेत्र या दायरे को न तो विस्तारित कर सकता है और न ही सीमित। (देखें : सीआईटी, मैसूर आदि बनाम इंडो मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, एआईआर 1959 एससी 713; कुश सहगल और अन्य बनाम एम.सी. मित्तर और अन्य, एआईआर 2000 एससी 1390; हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी संघ और अन्य, (2004) 1 एससीसी 574; नगर पालिका निगम बनाम कृषि उपज मंडी समिति और अन्य, एआईआर 2009 एससी 187; और केरल राज्य और अन्य बनाम बी. सिक्स हॉलिडे रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2010) 5 एससीसी 186)।

क 16. किसी अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान में दिया गया प्रावधान केवल उसी क्षेत्र को समाहित करता है जो मुख्य प्रावधान द्वारा आच्छादित होता है, और वह मुख्य प्रावधान से एक अपवाद निकालकर ऐसा करता है। (देखें : *राम नारायण संस लिमिटेड एवं अन्य बनाम सहायक बिक्री कर आयुक्त एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 765;** तथा *ए.एन. सहगल एवं अन्य बनाम राजेराम श्योराम एवं अन्य,* ख **ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1406)**।

17. सामान्यतः, प्रावधान और अपवाद में अंतर किया जा सकता है, क्योंकि अपवाद का उद्देश्य प्रवर्तन उपबंध को किसी विशेष वर्ग के मामलों तक सीमित करना होता है, जबकि प्रावधान का प्रयोग सामान्य अधिनियम से कुछ विशेष मामलों को ग अलग करके उनके लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए किया जाता है।

<u>व्यक्ति की कठिनाई:</u>

18. कोई वैधानिक प्रावधान ऐसा हो सकता है जिससे संबंधित पक्ष या किसी व्यक्ति को अत्यधिक कठिनाई या असुविधा हो, किन्तु न्यायालय के पास उसे पूर्ण घ कठोरता के साथ लागू करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता।

यह व्याख्या का स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी अधिनियम की भाषा को सामान्यतः पढ़ने पर उसका अर्थ स्पष्ट हो, तो उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाई या ङ असुविधा को उस भाषा के अर्थ को बदलने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। यदि भाषा स्पष्ट है और उससे केवल एक ही अर्थ निकलता है, तो उसी अर्थ को लागू किया जाना चाहिए, चाहे उससे कठिनाई या संभावित अन्याय क्यों न हो। (देखें : *कृषि आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम केशव चंद्र मंडल,* **ए.आई.आर. 1950 एस.सी. 265;** तथा *डी.डी. जोशी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 420)**।

19. *बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 661** में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह कहा कि यदि कोई छ कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कानून में संशोधन करना विधायिका का कार्य है। न्यायालय को केवल इस कारण से व्याख्या के मूल सिद्धांत को त्यागने के लिए नहीं कहा जा सकता कि उससे उत्पन्न कठिनाई को कम किया जा सके। यदि अधिनियम ज की भाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है, तो न्यायालय को उसे प्रभावी करना ही होगा, चाहे परिणाम असमान या अन्यायपूर्ण क्यों न प्रतीत हो। "Dura lex sed lex" अर्थात् "कानून कठोर है, परन्तु वही कानून है" – यह उक्त स्थिति का सार व्यक्त करता है। झ अतः यदि किसी वैधानिक प्रावधान से कुछ व्यक्तियों को कठिनाई होती है, तो

न्यायालय द्वारा कानून में संशोधन करना उचित नहीं है। किसी विधिक अधिनियम की व्याख्या उसके साधारण और शाब्दिक अर्थ में की जानी चाहिए, क्योंकि यही व्याख्या का प्रथम सिद्धांत है।

20. *मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बैंगलोर वूलन, कॉटन एंड सिल्क मिल्स लिमिटेड एवं अन्य,* **ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1128** में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि "असुविधा" किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय विचार करने योग्य निर्णायक तत्व नहीं है।

21. मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम कलकत्ता निगम, **ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 529** में इस न्यायालय ने इसी विषय पर विचार करते हुए कहा :

> "किसी वैधानिक प्रावधान से उत्पन्न परिणाम को कभी भी बुराई नहीं कहा जा सकता। न्यायालय के पास उस प्रावधान की उपेक्षा करने की शक्ति नहीं है ताकि वह उसके संचालन से उत्पन्न किसी कष्ट को दूर कर सके। किसी अधिनियम को प्रभावी करना ही होगा, चाहे न्यायालय को उसका परिणाम पसंद आए या नहीं।"

(यह भी देखें : *आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता बनाम एम/एस वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड,* **ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 927;** तथा *टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम रिलायंस एनर्जी लिमिटेड एवं अन्य,* **(2009) 16 एस.सी.सी. 659)**।

अतः यह स्पष्ट है कि यदि किसी प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो किसी व्यक्ति को होने वाली कठिनाई इस बात का आधार नहीं हो सकती कि उस प्रावधान के प्रत्येक शब्द को उसके प्रभावी और व्याकरणिक अर्थ में लागू न किया जाए।

<u>शब्दों का जोड़ना या घटाना:</u>

22. न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय वह न तो उसमें कोई शब्द जोड़ सकता है और न ही एक भी शब्द घटा सकता है। विधिक सूक्ति "A Verbis Legis Non Est Recedendum" का अर्थ है – "कानून के शब्दों से विचलन नहीं किया जा सकता।" किसी धारा की व्याख्या उसके सभी भागों को एक साथ पढ़कर की जानी चाहिए और उसका कोई भी भाग छोड़ना अनुमेय नहीं है। न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता कि विधायिका ने अधिनियम बनाते समय कोई त्रुटि की है; उसे इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि विधायिका ने वही कहा है जो उसका आशय था। यदि अधिनियम की

क भाषा में कोई कमी भी हो, तब भी न्यायालय उसमें शब्द जोड़कर या संशोधन करके उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। न्यायालय केवल अस्पष्टताओं को स्पष्ट कर सकता है, परन्तु ऐसा करते समय वह उस विधिक संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकता जिससे अधिनियम निर्मित हुआ है। यदि किसी प्रावधान का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट और समझने योग्य परिणाम देता हो, तो न्यायालय उसमें ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकता जो
ख उसमें नहीं हैं। (देखें : *नलिनाक्ष्य बायसैक बनाम श्याम सुंदर हलधर और अन्य,* **एआईआर 1953 एससी 148;** *श्री राम राम नारायण मेधी बनाम बॉम्बे राज्य,* **एआईआर 1959 एससी 459;** *एम. पेंटिया और अन्य वी. मुद्दला वीरमल्लप्पा एवं अन्य,* **एआईआर 1961 एससी 1107;** *बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम*
ग *बाबूभाई शंकरलाल पंड्या और अन्य,* **एआईआर 1987 एससी 849;** और *दादी जगन्नाधम बनाम जम्मूलु रामुलु एवं अन्य,* **(2001) 7 एससीसी 11)**।

23. किसी अधिनियम की व्याख्या इस आधार पर नहीं की जानी चाहिए कि विधायिका के मन में क्या विचार रहे होंगे, या उसे क्या कहना चाहिए था, या उसने
घ क्या किया होगा, अथवा उसका कर्तव्य क्या था। न्यायालयों को कानून को उसी रूप में लागू करना होता है जैसा वह है, और यह न्यायालय के लिए अनुमेय नहीं है कि वह किसी वास्तविक या काल्पनिक कठिनाई से बचने के लिए अधिनियम की स्पष्ट भाषा को विकृत कर दे।

ङ 24. उपर्युक्त के आलोक में यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रावधान की व्याख्या के नाम पर न्यायालय एक भी शब्द जोड़ या घटा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना व्याख्या नहीं बल्कि विधि-निर्माण होगा।

च 25. इस मामले पर विचार उपर्युक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों के आलोक में किया जाना आवश्यक है।

सेवा चयन बोर्ड (सीपीओ) 91 ने 154 व्यक्तियों का चयन सहायक कमांडेंट
छ (प्रत्यक्ष प्रवेश) के पद पर नियुक्ति के लिए किया और उन्हें प्रशिक्षण के लिए दो अलग-अलग बैचों में भेजा गया। बैच संख्या 16 में 67 अधिकारी थे जिन्होंने 1.2.1993 को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया, जबकि बैच संख्या 17 में 87 अधिकारी थे जिन्होंने 2.7.1993 को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। यद्यपि उनका चयन एक ही प्रतियोगी परीक्षा
ज के माध्यम से हुआ था, तथापि प्रशासनिक कारणों जैसे चरित्र सत्यापन आदि के कारण उन्हें एक ही बैच में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा सका। प्रतिवादी संख्या 1, जो फीडिंग कैडर से पदोन्नत होकर आए थे, 15.3.1993 को अपने पद पर नियुक्त हुए।

झ

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्हें 2.7.1993 को प्रारम्भ हुए बैच संख्या 17 के प्रशिक्षण से पूर्व ही पदोन्नति कैडर में स्थान मिल चुका था।

26. माननीय एकल न्यायाधीश ने नियम 3 में निहित वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्न प्रकार कहा :

> "उपरोक्त का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि जिन अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, उनकी वरिष्ठता उस तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी है जिस दिन उन्हें उस पद के लिए चयनित किया गया और जिस दिन से उनकी निरंतर नियुक्ति उस पद पर है। प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त अधिकारियों के मामले में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। क्रम संख्या (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके उस पद पर निरंतर नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। नियम का प्रावधान स्पष्ट है। इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त अधिकारियों के मामले में नियुक्ति की तिथि वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन उनका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सीमा सुरक्षा बल अकादमी में प्रारम्भ होता है।"

उपरोक्त के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को राहत प्रदान की गई। खंडपीठ ने भी इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की।

27. यदि हम उपर्युक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों को लागू करें, तो किसी अन्य प्रकार की व्याख्या संभव नहीं है। उक्त नियम की भाषा पूर्णतः स्पष्ट है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। इस नियम की वैधता को भी चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए नियम की भिन्न प्रकार से व्याख्या करना अनुमेय नहीं है। उक्त प्रावधान केवल उस स्थिति में लागू होगा जब एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अधिकारियों को अलग-अलग बैचों में विभाजित किया गया हो। यदि नियम की अन्य प्रकार से व्याख्या की जाए, तो इसका अर्थ होगा कि प्रावधान में ऐसे शब्द जोड़ दिए जाएँ जो कानून अनुमति नहीं देता।

28. यदि अपीलकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली जाए, तो इसका अर्थ होगा कि उनकी वरिष्ठता उस तिथि से निर्धारित की जाएगी जो उनके कैडर में प्रवेश से भी पूर्व की है। यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ताओं (17वें बैच) ने 2.7.1993 को प्रशिक्षण

क प्रारम्भ किया था और उनका दावा है कि उनकी वरिष्ठता 1 फरवरी 1993 से निर्धारित की जाए, अर्थात् उस तिथि से जब 16वें बैच ने प्रशिक्षण प्रारम्भ किया था। ऐसा करना विधि में अनुमेय नहीं है।

इस मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ न तो किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता रखती हैं और न ही नियम को सीमित अर्थ देने की।

ख

29. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमणि ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय (*दिनेश कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य*) दिनांक 14.2.2011 पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्त की, जिसमें उस याचिकाकर्ता को कुछ राहत

ग प्रदान की गई थी, क्योंकि पुनरीक्षण चिकित्सीय बोर्ड द्वारा निर्धारित फिटनेस परीक्षण में उत्तीर्ण होने के कारण प्रशिक्षण में सम्मिलित होने में कुछ विलंब हो गया था। उस मामले में न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की थी, बिना नियम 3, नियम 1978 की व्याख्या किए। अतः उक्त निर्णय वास्तव में कोई विधिक सिद्धांत स्थापित नहीं करता। वर्तमान मामला उससे भिन्न है, क्योंकि

घ वहाँ वरिष्ठता और पदोन्नति काल्पनिक आधार पर पूर्व प्रभाव से प्रदान की गई थी और यह माना गया था कि जिस व्यक्ति को यह लाभ दिया गया है, वह उससे उत्पन्न सभी परिणामी लाभों का भी अधिकारी है।

ङ 29. अतः उपर्युक्त के आलोक में, अपीलों में कोई मेरिट नहीं है और इसलिए उन्हें निरस्त किया जाता है।

च के.के.टी. अपीलें निरस्त।

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।